सार-समाचार

हादसे में बाइक सवार की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। गंगापुर थाना क्षेत्र में बजरी परिवहन कर ले जाती ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार, पोटलां चौकी क्षेत्र में बुधवार सुबह बजरी परिवहन करती ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार दंपती को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोडक़र मौके से फरार हो गया। घायल दंपती को गंगापुर अस्पताल ले जाया गया जहां पति को मृत घोषित कर दिया, वहीं पत्नी का उपचार किया जा रहा है। मृतक का नाम श्यामलाल (50), जबकि घायल का नाम संपत्ति देवी बताया जा रहा है। उधर, हादसे की सूचना पर कई लोग गंगापुर अस्पताल की मोर्चरी पर जुट गये। ये लोग दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन स्वामी को मोर्चरी बुलाने की मांग करने लगे। पुलिस की समझाइश के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू की गई है।

'कार्यालय जलाने वालों पर हो कार्यवाही'

अजमेर, (कासं)। अजमेर जिल के नसीराबाद क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम देराठू में महिला पत्रकार के कार्यालय को जलाने की घटना पर अजमेर जिले के पत्रकारों ने रोष व्यक्त करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर बुधवार को पुलिस अधीक्षक से पत्रकारों के शिष्टमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अजमेर प्रेस क्लब, मीडिया क्लब अजमेर के बैनर तले पीडित् पत्रकार विमला वैष्णव ने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात की और घटना की जानकारी दी। एसपी वंदिता राणा ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज दाधीच, सचिव नवाब हिदायतउल्ला, मीडिया क्लब के अध्यक्ष अभिजीत दवे, पत्रकार आनंद शर्मा सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे।

सदर थानाधिकारी को दो बेंच भेंट की

ब्यावर, (निसं) सदर थाने मे काफी लम्बे समय से आमजन के बैठने हेतु व्यवस्था की कमी नज़र आने पर आमजन की सेवार्थ व सुविधा के लिये ग्राम पंचायत मेडिया,तहसील ब्यावर क्षेत्र के वार्ड पंच अमृतलाल छीपा, नवीन कुमार छीपा ने वृताधिकारी राजेश कसाना तथा सदर थानाधिकारी गंगाराम खावा की उपस्थिति में दो लकडी की बेंचे भेट की।इस अवसर पर वृताधिकारी राजेश कसाना और थानाधिकारी गंगाराम खावा का साफा और माला पहनाकर भावपूर्ण स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद बच्छराज छीपा, बसन्त कुमार सोनी, रामचन्द्र टेलर, रामाकिशन छीपा आदि उपस्थित थे ।थानाधिकारी ने भेंट के लिए छीपा बंधुओ का आभार जताया और कहा की अब थाना परिसर में बाहर से आने वालो को बैठने हेतु किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आज

अजमेर, (कासं)। लायंस क्लब अजमेर के तत्वावधान में माखुपुरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज में 28 नवंबर को प्रात: 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है । डिस्ट्रिक मीडिया कॉर्डिनेटर एमजेएफ लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि शिविर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अजमेर एंव जे. एल. एन मेडिकल कालेज का सहयोग रहेगा। शिविर के प्रायोजक एचडीएफसी बैंक (आप्रेशन) अजमेर, अल्ट्राटेक सीमेंट, कुमार कंस्ट्रक्शन एंव लायन हरीश गर्ग रहेगें। क्लब अध्यक्ष भागू इसरानी ने आमजन, लायन सदस्यों से अपने परिजनों, इष्ट मित्रों को रक्तदान महादान के इस पुनीत कार्य के लिए अधिक से अधिक प्रेरित कर रक्तदान कराने का आग्रह किया है।

27 बच्चों के लिए स्वेटर किए भेंट

अजमेर, (कासं)। श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर एवं श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवम युवामहिला संभाग अजमेर के द्वारा समिति संरक्षक राकेश पालीवाल एवं समिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी के सहयोग से पहाड़गंज क्षेत्र की जनता कॉलोनी आंगनवाड़ी में शिक्षा के साथ संस्कार ग्रहण करने के लिए आने वाले 27 नन्हे मुन्ने बच्चो को सर्द हवाओ से बचाने के लिए गर्म वस्त्र की सेवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी को भेंट की गई। श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर संभाग के अध्यक्ष अतुल पाटनी ने बताया कि सर्द ऋतु प्रारंभ हो चुकी है ऐसे में समिति द्वारा सामाजिक सरोकार के अंतर्गत समिति संरक्षक राकेश पालीवाल, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी ने स्वेटर की सेवा खुशी परियोजना की गायत्री वर्मा कॉर्डिनेटर विजय दीक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी को भेंट की जिन्हें वे बच्चो के अभिभावकों के सम्मुख बच्चो को पहनाएगी।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की बैठक

ब्यावर, (निसं) पीएम श्री बालिका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड में जवाजा ब्लॉक के समस्त पीईईओ और सीईईओ के आधीन सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु गुप्ता ने बताया कि 4 दिसंबर 2024 को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसमें कक्षा-3, कक्षा-6 और कक्षा -9 के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। इस सर्वे में विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर जांचने के साथ विद्यालय की विभिन्न आवश्यक सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर ब्लॉक एवं जिले की शैक्षिक स्थिति का पता चलेगा।

राष्ट्रीयता जागृत करने में शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका : सोडानी

■ नवनियुक्त कुलपति प्रो. कैलाश सोडाणी ने संभाला पदभार

अजमेर, (कासं)। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नवनियुक्त कुलपति प्रो. कैलाश सोडाणी ने आज विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। गणेश पूजन और मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुए इस समारोह में विश्वविद्यालय परिवार और अतिथियों ने भव्य स्वागत किया। कुलपति सचिवालय तक उनका जुलूस पुष्प वर्षा और ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचा। कुलसचिव प्रिया भार्गव और वित्त नियंत्रक पद्मिनी सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

अपने संबोधन में प्रोफेसर सोडाणी ने शिक्षकों और छात्रों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षकों को वह सम्मान नहीं मिल पाया, जो उन्हें मिलना चाहिए था। वर्तमान में छात्रों के आदर्श शिक्षक न होकर अभिनेता और खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आज शिक्षकों और छात्रों को लाइब्रेरी और लैब से प्रेम करना चाहिए और शिक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। प्रोफेसर सोडाणी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की निजी लाइब्रेरी का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके पास 35,000 से अधिक पुस्तकें थीं, जो उनके अध्ययन और ज्ञान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विदेशी संस्कृति में लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी पढ़ाई करते हैं, जबकि भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। उन्होंने डिजिटल युग की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज का युवा मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों का गुलाम बन गया है। उन्होंने कहा कि गूगल ने शिक्षकों का स्थान ले लिया है, लेकिन जीवन के सही मूल्यों और ज्ञान के लिए माता-पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन अनिवार्य है। प्रोफेसर सोडाणी ने राष्ट्रीयता की भावना की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र पढ़ाई के बाद विदेशों में सेवा देने चले जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता की शिक्षा को शामिल किया जाए, ताकि छात्र विदेश जाने के बजाय अपने देश में रहकर योगदान दें। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि ज्ञान के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन की सफलता का श्रेय अहंकार से मुक्त रहने को दिया। उन्होंने शिक्षकों से आव्हान किया कि वे अपने छात्रों में राष्ट्रप्रेम, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास करें। इससे पूर्व भी प्रोफेसर कैलाश सोडाणी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा और कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। उनके अनुभव और दूरदर्शिता की सराहना सोफिया कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सिस्टर पर्ल ने की। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और सोफिया कॉलेज को स्वायत्तशासी महाविद्यालय का दर्जा दिलाने में प्रोफेसर सोडाणी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पदभार ग्रहण समारोह में उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी डॉ. कमल किशोर मिश्रा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता, महासंघ के प्रदेश महामंत्री प्रो. सुशील कुमार बिस्सु, सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मनोज बेहरवाल, कोटा खुला विश्वविद्यालय के क्षेत्र निदेशक अनुरोध गोधा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजू शर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कुलसचिव प्रिया भार्गव ने दिया। प्रोफेसर कैलाश सोडाणी ने अंत में शिक्षकों और छात्रों से आव्हान किया कि वे मिलकर राष्ट्र की प्रगति और शिक्षा के विकास में अपना योगदान दें।

आवेदन 6 दिसंबर तक

अजमेर, (कासं)। राज. भू-राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और सेवा शर्तें) नियम, 1971 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 4 (16) राज-6/2024 दिनांक 21.11.2024 के प्रावधानानुसार राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के रिक्त दो पदों को भरने हेतु पात्र अधिवक्ताओं से आवेदन 6 दिसंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। राजस्व (ग्रुप-1)विभाग की ओर से जारी सूचनानुसार इच्छुक अधिवक्ता निबंधक, राजस्व मंडल राज., अजमेर कार्यालय मेंआवेदन-पत्र 6 दिसम्बर की सायं 06 बजे तक व्यक्तिश: उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। राजस्व मण्डल में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के रिक्त दो पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे अधिवक्ता पात्र होंगे जो नियुक्ति होने के वर्ष की 1 जनवरी को, अर्थात एक जनवरी, 2024 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदनकर्ताओं में से चयन की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान भू-राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और सेवा-शर्तें) नियम, 1971 के अधीन होगी।

Aavas SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA

आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड
(सीआईएन: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020, राजस्थान, भारत | फोन: +91 141 661 8800 फैक्स: +91 141 661 8861 | ईमेल: info@aavas.in | वेबसाइट: www.aavas.in

सार्वजनिक सूचना
कंपनी की बिजयनगर शाखा को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की बिजयनगर शाखा इस सूचना की तारीख से तीन महीने बाद आशीर्वाद प्लाजा, पहली मंजिल, ब्यावर रोड, प्रज्ञा स्कूल के पास, बिजयनगर, जिला-अजमेर - 305624, राजस्थान से पहली मंजिल, ब्लॉक नंबर 5, ज्योति आर्केड, प्रज्ञा स्कूल के पास, ब्यावर रोड, बिजयनगर, ब्यावर, राजस्थान -305624 स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाएगी।

आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड के लिए
एसडी/-
शरद पाठक
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 27 नवम्बर 2024
स्थान: बिजयनगर

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

■ मां ने दो लडक़ों पर परेशान करने का लगाया आरोप

अजमेर, (कासं)। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने देर रात फांसी का फंदा लगाकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक के फंदे पर झूलने पर घर में हडक़ंप मच गया। परिजन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल से पोस्टमार्टम करा शव परिजन के सुपुर्द कर दिया। मृतक की मां ने दो लडक़ों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

कोतवाली थाने के ए एस आई सुखपाल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक उमेश जोकि मित्तल मॉल में रेडीमेट शॉप में काम करता है। मंगलवार देर रात घर पहुंचने के बाद युवक ने खाना खाया और कमरे में सोने चला गया। बुधवार सुबह जब उसकी मां जगाने पहुंची तो युवक का शव फंदे पर लटका हुआ था। युवक के फंदे पर लटकने मिलने पर घर में हडक़ंप मच गया। परिजन ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जवाहर लाल नेहरू अस्पताल से युवक का पोस्टमार्टम करा शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।

एएसआई सुखपाल ने बताया कि मृतक युवक की मां ने दो युवकों वेद भारद्वाज और राहुल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है,जिसमें दोनों युवकों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस घर की तलाश लेगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

महिला के गले से चेन तोड़ फरार हुए शातिर

अजमेर, (कासं)। क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में वैशाली नगर चौधरी कॉलोनी निवासी महिला के गले पर झपट्टा मार दो शातिर बाइक सवार युवकों ने चेन स्नेचिंग की वारदात अंजाम दी। शहर में चेन स्नेचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पीडित् महिला ने थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस से जानकारी के अनुसर मित्र नगर रांतीडांग निवासी गीता मिश्रा ने थाने में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ चेन स्नेचिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट में पीडित्ा गीता मिश्रा ने बताया कि उनके घर में बेटी की शादी है, जिसके चलते बुधवार होने के कारण आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर में गणेशजी को न्यौता देने गए थे, जब वापस घर लौट रहे थे, तभी चौधरी कॉलोनी के कट के पास बाइक सवार युवकों ने गले पर झपट्टा मार कर सोने की चेन (12 ग्राम) तोड़ कर फरार हो गए। दोनों युवकों ने हेलमेट लगा रखा था। घटना दोपहर 1:20 बजे चौधरी कट के पास हुई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

अजमेर, (कासं)। राजस्थान पेंशनर्स समाज , जिला शाखा अजमेर के बैनर तले पेंशनर्स ने प्रदेश के सीएम भजन लाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर कम्यूटेशन की अवधि 14 साल से 12 साल करवाने कि मांग की है।

पेंशनर्स के जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार के पेंशनर जो पेंशन का कम्यूटेशन कराते है, उन्हे राजस्थान सिविल सर्विसेज (कम्यूटेशन ऑफ पेंशन) रूल्स 1996 के नियम 29 के अर्न्तगत पेंशन की एक तिहाई राशि तक की पेंशन कम्यूट करा सकता है एवं कम्यूटेशन के भुगतान की दिनांक से 14 वर्ष तक एक तिहाई पेंशन की वसूली होने के पंश्चात कम्यूटेड पेंशन का रेस्टोरेशन किया जाता है।इस सम्बंध में, उन्होने सरकार को अवगत करवाया कि गुजरात सरकार एवं आंध्र प्रदेश सरकार ने भी रेस्टोरेशन की नियत अवधि को दो वर्ष घटा कर 12 एवं 13 वर्ष कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा भी 12 वर्ष से अधिक की वसूली पर स्टे कर दिया गया है। केट मुम्बई ब्रांच के आदेश 15 नवम्बर 2024 एवं विभिन्न प्रशासनिक ट्रूयूनल के द्वारा भी स्टे जारी किये जा चुके है।

घटिया सडक़ निर्माण को लेकर किया प्रदर्शन

■ कलेक्टर, निगम आयुक्त से की कार्य जांच की मांग

अजमेर, (कासं)। अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 36 के विज्ञान नगर, पंचवटी कॉलोनी, सेठी कॉलोनी सहित क्षेत्र की अन्य कॉलोनियों में डाली गई सीवरेज व पाइपप लाइन के बाद बनाई जा रही घटिया सडक़ निर्माण को लेकर पार्षद व वार्डवासियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद व क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री से सडक़ निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने सडक़ निर्माण कार्य रुकवाया और कलेक्टर व निगम आयुक्त से सडक़ निर्माण कार्य की जांच करवा कर उचित मापदंडों के अनुरूप सडक़ निर्माण की मांग की।

अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 36 के भाजपा पार्षद पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में बुधवार को वार्ड में बन रही घटिया क्वालिटी की डामर सडक़ निर्माण को लेकर जिला, निगम प्रशासन व ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्षद पृथ्वी सिंह सहित क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड की विज्ञान नगर, पंचवटी व सेटी नगर कॉलोनियों में पिछले डेढ़ वर्ष से सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, जिसके चलते सडक़ व नालियां क्षतिग्रस्त होने से सभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज लाइन के काम के बाद ठेकेदार द्वारा सडक़ निर्माण का कार्य शुरू किया, लेकिन सडक़ निर्माण कार्य तय मापदंडों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। बुधवार सुबह जब सडक़ निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार और उसके कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें क्षेत्रवासियों ने लौटा दिया। उन्होंने जिला व निगम प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य कर रहा है, दो दिन पहले बना हुआ रोड ही जगह जगह से उखड़ गया है। पार्षद सिंह ने कहा कि मामले को लेकर जांच के लिए कलेक्टर व निगम आयुक्त को शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई जांच की कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है।

'दरगाह आस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक'

अजमेर, (कासं)। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को हिंदू मंदिर बताने के दावे को कोर्ट द्वारा मंजूर किए जाने के बाद ख़ादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने बयान जारी किया है।

उन्होंने कहा कि दरगाह आस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और इसके विश्वभर में करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि इस हमने कई दौर झेले हैं और पिछले तीन साल से हिंदू सेना इस तरह की बयानबाजी कर रही है। ऐसे हालात देश के लिए हित में नहीं हैं।सचिव ने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद हमने सोचा था कि देश में हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे। दरगाह गरीब नवाज की दरगाह है और रहेगी। किसी की मुरादें पूरी नहीं होंगी। यह स्थान आस्था का केंद्र है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि दरगाह हमेशा से धार्मिक सौहार्द और सौहार्द्र का प्रतीक रही है और यह एक ऐसी जगह है जहां सभी धर्मों के लोग समान भाव से आते हैं।

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
CIN: L65922RJ1999PLC015440
321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)
दूरभाष : 0294-2412609, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com

परिशिष्ट - 4 {नियम 8 (1)} सांकेतिक की सूचना (स्थावर संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, जो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत निम्न ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता को एक मांगपत्र जिसमें उल्लेखित रकम, जो उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रतिदाय करने के लिए ''मांग पत्र'' जारी किया था। ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता, उनके जमानतदारों एवं जनसाधारण को यहाँ सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002, के नियम 8 के अंतर्गत निम्न संपत्तियों का सांकेतिक कब्ज़ा उल्लेखित दिनांक को ले लिया है। ऋणी सहऋणी, बन्धककर्ता व जमानतदारो को विशिष्ट रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से इसके द्वारा सावधान किया जाता है की वह नीचे वर्णित संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नही करे। इन संपत्तियों के सबंध में किया गया कोई भी व्यवहार नीचे सांकेतिक कब्ज़ा पत्र में वर्णित रकम, और सांकेतिक कब्ज़ा पत्र की दिनांक से आगे के ब्याज, खर्चो, अन्य खर्चो आदि के लिए एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान) के प्रभार के अधीन होगा। अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अंतर्गत सुरक्षित (सिक्योर्ड) प्रतिभूति के उन्मोचन के लिए उपलब्ध समय के प्रावधानों की ओर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता व उनके जमानतदारो का ध्यान आकृष्ट करता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या/ ऋणी/ सहऋणी/ जमानती	1) मांग पत्र की दिनांक 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार	स्थावर संपत्ति का विवरण
1.	HLR00000000010591 श्रीमती सोना देवी पत्नी श्रीमान धर्मराज सैन (ऋणी) श्री धर्मराज सैन पुत्र श्री मोडू राम सैन (सह- ऋणी) श्री सत्यनारायण सैन पुत्र श्री रामस्वरूप सैन (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- दिसम्बर 12, 2023 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 22, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार-₹ 3,22,940/- रुपये तीन लाख बाईस हज़ार नो सौ चालीस मात्र दिनांक दिसम्बर 11, 2023तक एवं दिसम्बर 12, 2023 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्रीमती सोना देवी पत्नी श्रीमान धर्मराज सैन की सम्पति जो की पट्टा नं. - 30, पुस्तक सं. - 87, ग्राम - गिरवरपुरा, ग्राम पंचायत - गिरवरपुरा, पंचायत समिति - सावर, तहसील - सावर, जिला - अजमेर (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 102.22 वर्ग गज है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- मिश्रीलाल पुत्र गोरधन, उत्तर- रामस्वरूप पुत्र कल्याण, दक्षिण - दुर्गा लाल पुत्र मदन
2.	HLR00000000013016 श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री राम सिंह (ऋणी) श्रीमती प्रेम कुंवर पत्नी श्री राम सिंह (सह- ऋणी -1) श्री राम सिंह पुत्र श्री भेरू सिंह राजपूत (सह- ऋणी -2) श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह (जमानती-1) श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह (जमानती -2)	1) मांग पत्र की दिनांक- अगस्त 26, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार-₹ 8,19,950/- रुपये आठ लाख उन्नीस हज़ार नो सौ पचास मात्र दिनांक अगस्त 26, 2024 तक एवं अगस्त 27, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री राम सिंह पुत्र श्री भेरू सिंह की सम्पति जो की पट्टा नं. - 1406, आराजी नं. - 49, ग्राम-रामपुरिया, ग्राम पंचायत-लापसिया, तहसील-रेलमंगरा, जिला-राजसमंद (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1080 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व - मदन सिंह जी का नोहरा, पश्चिम - अमर सिंह जी का मकान, उत्तर - सामान्य रास्ता, दक्षिण - राम सिंह जी का नोहरा
3.	HLR00000000011762 श्री रतन लाल नायक पुत्र श्री भमर लाल (ऋणी) श्रीमती श्यामू बाई नायक पत्नी श्री रतन लाल (सह- ऋणी) श्री वरदी चंद्र पुत्र श्री सुक्खा लाल (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- मई 13, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23,2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 3,30,540/- रुपये तीन लाख तीस हज़ार पांच सौ चालीस मात्र दिनांक अप्रैल 24, 2024 तक एवं अप्रैल 25, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्रीमती श्यामू बाई नायक पत्नी श्री रतन लाल की सम्पति जो की आराजी नं. -31, पट्टा नं.-05, पुस्तक सं. -45, नायक मौहल्ला, अमलिया का खेड़ा, ग्राम-नेगड़िया, तहसील-डूंगला, जिला-चित्तौड़गढ़, (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1008 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व - पप्पू खान और भूरे खान का मकान, पश्चिम - गंगा बाई / जगीध नायक का मकान, उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण- आम रास्ता
4.	HLR0000000003638 श्री किशन लाल जाट पुत्र श्री माधव लाल जाट (ऋणी) श्रीमती नोसर बाई (निशा देवी) पत्नी श्रीमान किशन लाल जाट (सह-ऋणी) श्री अमरचंद पुत्र श्री भंवर लाल जाट (जमानती-1) श्री संजय चौधरी पुत्र श्री हजारी लाल चौधरी (जमानती-2)	1) मांग पत्र की दिनांक- अगस्त 23, 2018 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 4,59,768/- रुपये चार लाख उन्सठ हज़ार सात सौ अडसठ मात्र दिनांक अगस्त 17, 2018 तक एवं अगस्त 18, 2018 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्रीमती निशा देवी उर्फ नोसर बाई पत्नी श्री किशन लाल जाट की सम्पति जो की पट्टा नं.-014, दिनांक 17/04/2017, ग्रामपंचायत आलोद, तहसील - डूंगला, जिला - चित्तौड़गढ़, (राजस्थान) द्वारा जारी पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1280 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-सड़क, पश्चिम- किशन लाल पुत्र भगवान लाल की आराजी, उत्तर- रतन लाल पुत्र माधव लाल जाट का घर, दक्षिण- उदय लाल पुत्र देव जी जाट का घर
5	HLR00000000012124 श्री गोपाल लाल गुर्जर पुत्र श्री नंदा राम गुर्जर (ऋणी) श्रीमती पानी देवी पत्नी श्रीमान गोपाल लाल गुर्जर (सह- ऋणी) श्री देबी लाल पुत्र श्री राम लाल गुर्जर (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- नवम्बर 22, 2023 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 3,39,850/- रुपये तीन लाख उनचालीस हज़ार आठ सौ पचास मात्र दिनांक नवम्बर 20, 2023 तक एवं नवम्बर 21, 2023 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्रीमती पानी देवी पत्नी श्रीमान गोपाल लाल गुर्जर की सम्पति जो की पट्टा नं.-45, ग्राम-देवपुरा, ग्राम पंचायत-जेतगढ़, पंचायत समिति-बदनोर, तहसील-बदनोर, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2700 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व - सामान्य रास्ता, पश्चिम- स्वयं का बाड़ा, उत्तर - भेरू पुत्र कर्ता गुर्जर, दक्षिण - ईश्वर पुत्र लक्ष्मण
6	HLR0000000003160 श्री पुखराज नायक पुत्र श्री सुखदेव (ऋणी) श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री पुखराज नायक (सह- ऋणी) श्री चुन्नी रावत पुत्र श्री हीरा सिंह रावत (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- अगस्त 21, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 13,31,100/- रुपये तेरह लाख इकतीस हज़ार एक सौ मात्र दिनांक अगस्त 21, 2024 तक एवं अगस्त 22, 2024से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री पुखराज नायक पुत्र श्री सुखदेव की सम्पति जो की पट्टा नं. - 24, ग्राम - शंभूगढ़, ग्राम पंचायत - शंभूगढ़, पंचायत समिति - आसींद, तहसील - आसींद, जिला - भीलवाड़ा (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1194 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व - भैरू लाल नायक, पश्चिम - आम रास्ता, उत्तर - धर्मचंद नायक, दक्षिण - तेजमल नायक
7	HLR0000000008946 श्री गणेश जी पुत्र माना (ऋणी) श्रीमती सरसी बाई पत्नी गणेश जी (सह-ऋणी-1) श्री शंकर लाल डांगी पुत्र गणेश डांगी (सह-ऋणी-2) श्री नारायण डांगी पुत्र पार्थ डांगी (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- अप्रैल 27, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 6,20,630/- रुपये छह लाख बीस हज़ार छह सौ तीस मात्र दिनांक अप्रैल 24, 2024 तक एवं अप्रैल 25, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री गणेश जी पुत्र माना की सम्पति जो की पट्टा नं. - 49026, पुस्तक संख्या-011, मिसल नं.-90, ग्राम-गण्डोली, सांगवा, तहसील-मावली, जिला -उदयपुर (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1755 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम- मांगीलाल पुत्र रामा का बाड़ा, उत्तर - आम रास्ता, दक्षिण - आम रास्ता
8	HLR0000000005212 श्री महावीर प्रसाद वैष्णव पुत्र श्री जमना दास वैष्णव (ऋणी) श्रीमती सीता देवी पत्नी श्रीमान महावीर प्रसाद वैष्णव (सह- ऋणी -1) श्री गजानंद वैष्णव पुत्र श्री महावीर प्रसाद वैष्णव (सह- ऋणी -2) श्री लक्ष्मण लाल वैष्णव पुत्र श्री महावीर प्रसाद वैष्णव (सह- ऋणी -3) श्री आत्माराम वैष्णव पुत्र श्री महावीर प्रसाद वैष्णव (सह- ऋणी -4) श्री गोपाल लाल पुत्र श्री नंदा दास (जमानती-1) श्री गोविंदराम वैष्णव पुत्र श्री सीताराम वैष्णव (जमानती-2)	1) मांग पत्र की दिनांक- अक्टूबर 12, 2022 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23,2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 10,91,530/- रुपये दस लाख इकरानवे हज़ार पांच सौ तीस मात्र दिनांक अक्टूबर 12, 2022 तक एवं अक्टूबर 13, 2022 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री महावीर प्रसाद वैष्णव पुत्र श्री जमना दास वैष्णव की सम्पति जो की पट्टा नं. 19, पुस्तक सं. 2241, ग्राम पंचायत- खेजड़ी, पंचायत समिति- हुरड़ा, तहसील-हुरड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 810 वर्ग फिट (90 वर्ग गज)है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व- लाडू दास जी के घर का रास्ता, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-आम रास्ता, दक्षिण-आम रास्ता
9	HLR00000000011190 श्री पप्पू वैष्णव पुत्र श्री राधेश्याम वैष्णव (ऋणी) श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री पप्पू वैष्णव (सह- ऋणी) श्री विनोद वैष्णव पुत्र श्री गुडाडा मल वैष्णव (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- मई 14, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23,2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 4,59,170/- रुपये चार लाख उनसठ हजार एक सौ सितर मात्र दिनांक मई 11, 2024 तक एवं मई 12, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री पप्पू वैष्णव पुत्र श्री राधेश्याम वैष्णव की सम्पति जो की पट्टा नं. 32, मिसल नं. 204, ग्राम गंगलास, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा, (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 735 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-ओम प्रकाश / राधे श्याम, उत्तर-लाडू लाल / जोधा, दक्षिण- कैलाश चन्द्र / राधे श्याम
10	HLR00000000010055 श्री जगदीश कुम्हार पुत्र श्री छीतर कुम्हार (ऋणी) श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्रीमान जगदीश कुम्हार (सह- ऋणी) श्री सत्यनारायण सेन पुत्र श्री घीसू सेन (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- अक्टूबर 13, 2023 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23,2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹6,47,440/- रुपये छह लाख सैंतालिस हज़ार चार सौ चालीस मात्र दिनांक सितम्बर 11, 2023 तक एवं सितम्बर 12, 2023 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री जगदीश कुम्हार पुत्र श्री छीतर कुम्हार की सम्पति जो की पट्टा नं.-47, पुस्तक संख्या- 1733, ग्राम पंचायत - मोड़ का निम्भेरा, पंचायत समिति - आसीन्द, तहसील-आसीन्द, जिला-भीलवाड़ा, (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 720 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व- आम सड़क, पश्चिम-आम सड़क, उत्तर-देव करण का घर, दक्षिण- नारायण का घर
11	HLR00000000012090 श्री कालू सिंह चौहान पुत्र श्री जगदीश चौहान (ऋणी) श्री राम सिंह पुत्र श्री जगदीश चौहान (सह- ऋणी -1) श्री जगदीश चौहान पुत्र श्री गस्तराम चौहान (सह- ऋणी -2) श्रीमती सोनू कंवर पत्नी श्रीमान कालू सिंह (सह- ऋणी -3) श्रीमती अम्बा कुँवर पत्नी श्री कालू सिंह (सह- ऋणी -4) श्री पूरणमल सुथार पुत्र श्री. भंवर लाल सुथारा (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक-जून 21, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 5,20,560/- रुपये पांच लाख बीस हज़ार पांच सौ साठ मात्र दिनांक जून 20, 2024 तक एवं जून 21, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री जगदीश सिंह चौहान पुत्र श्री घीसाराम जी चौहान और श्रीमती अम्बा बाई पत्नी जगदीश सिंह चोहान की सम्पति जो की मिसाल नं.-220/22, वार्ड नं.-19 ग्राम-आजादपुर, तहसील-बड़ी सादड़ी, जिला- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 528.75 वर्ग फीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-प्रतापसिंह का मकान, पश्चिम- फतेहसिंह का मकान, उत्तर-आम रास्ता आजादपुरा कोर्ट की गठी, दक्षिण- मांगीलाल का मकान

स्थान-राजस्थान
प्रकाशन की दिनांक- 28/11/2024

अधिकृत अधिकारी
एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड